



प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना

पी.एम.एम.एस.वाई. की केन्द्रीय प्रायोजित
योजना के लाभार्थी-उन्मुख उप-
घटक/कार्यकलाप



मत्स्यपालन विभाग
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
भारत सरकार



प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना

पी.एम.एम.एस.वाई. की केन्द्रीय प्रायोजित
योजना के लाभार्थी-उन्मुख उप-
घटक/कार्यकलाप

मत्स्यपालन विभाग
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
भारत सरकार

सितंबर, 2020

मुद्रकः

मै. रायल ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-८९/१, नारायणा इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेस-१, नई दिल्ली-११००२८



संदेश

मत्स्य क्षेत्र देश में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में होने का क्रम जारी रखे हुए है और कृषि संबद्ध इस देश में क्षेत्र बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है।


यह क्षेत्र प्राकृतिक स्तर पर तथा मत्स्यपालन मूल्य श्रंखला के साथ-साथ कतिपय और स्तर पर 2.8 करोड़ से अधिक मछुआरों और मत्स्य किसानों को जीविकोपार्जन की व्यवस्था करता है। हाल के वर्षों में, इस क्षेत्र ने प्रायः 11 प्रतिशत (वर्ष 2014–15 से 2018–19 तक) की औसत वार्षिक वृद्धि की दर से शानदार वृद्धि दर्शायी है और इस अवधि के दौरान देश में मछली उत्पादन ने लगभग 8 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज की है। इसके महत्व, भौगोलिक विस्तार तथा निर्यात की सीमा को ध्यान में रखते हुए मत्स्यपालन क्षेत्र ने भारत के आर्थिक विकास की रफ्तार को गति देने में स्पष्ट रूप से उल्लेखनीय भूमिका निभाई है।

इस क्षेत्र के सराहनीय महत्व को ध्यान में रखकर, सरकार ने हाल ही में “प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी.एम.एस.वाई.)” एक महत्वाकांक्षी योजना आरंभ की है। इस योजना में इस सेक्टर में विविध हस्तक्षेपों तथा उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का समाधान करके किसानों की आय को दुगुना करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। विभिन्न हितधारकों को फायदा दिलाने के लिए इस विभाग ने “बेनिफिशियरी-बुकलेट” प्रकाशित की है जिसमें प्रधानमंत्री संपदा योजना (पी.एम.एस.वाई.) के विभिन्न उप-घटकों का व्यौरा दिया गया है जिसके, अंतर्गत लाभ-ग्राही तथा अन्य घटक लाभ ले सकते हैं।

मुझे “बेनिफिशियरी बुकलेट ऑफ दी पी.एम.एस.वाई” का लोकार्पण करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस पुस्तिका के अन्तर्गत पी.एम.एस.वाई स्कीम के विभिन्न घटकोंकार्यकलापों और योजना संबंधी प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के तौर-तरीकों की भी एक वृहत् रूपरेखा दी गई है जो, इस क्षेत्र में मछुआरों तथा अन्य हितधारकों के लिए एक बहूमूल्य स्रोत होगी।

मैं इस पुस्तिका की तैयारी से जुड़े सभी अधिकारियोंकर्मचारियों का धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि हमारे मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों के कुशल एवं योग्य मार्गदर्शन में सभी कार्यान्वयन एजेंसियां पूरी निष्ठा और फोकस के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अन्तर्गत निर्दिष्ट लक्ष्यों के प्राप्त करने के श्रमसाध्य प्रयास करेंगी।

गिरिराज सिंह



राज्य मंत्री
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम और
मत्स्य पालन, पशुपालन, एवं डेयरी
भारत सरकार
नई दिल्ली-110011
Minister of State for
Micro, Small & Medium Enterprises and
Fisheries, Animal Husbandry & Dairying
Government of India
New Delhi-110011

संदेश

मत्स्यपालन क्षेत्र देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। एक ओर जहाँ मत्स्यपालन तथा जलकृषि ने औसतन लगभग 8 प्रतिशत की दर पर वृद्धि दर्शायी है तो वहीं दूसरी ओर जलकृषि लगभग 11 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ रही है। यह क्षेत्र सकल मूल्य वर्धित योग में तेजी से वृद्धि कर रहा है और सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में कृषि का लगभग 7.281 प्रतिशत हिस्सा बनता है। पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत में मछली उत्पादन ने 7.53 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज की है और वर्ष 2019–20 के दौरान लगभग 150 लाख मीट्रिक टन के प्रत्येक समय उच्च स्तर पर बना रहा है। वर्ष 2018–19 के दौरान मेरिन उत्पादन का निर्यात 13.93 लाख मीट्रिक टन रहा जिसका मूल्य 46.589 करोड़ रुपये (6.73 बिलियन अमेरिकी डॉलर) था। भारत दूसरा सबसे बड़ा जलकृषि उत्पादक देश है और विश्व में मछली निर्यात करने वाले शीर्षस्थ राष्ट्रों में है। हमारे देश के लगभग 17 प्रतिशत कृषि निर्यातों में मछली और मछली उत्पाद है।

देश के आर्थिक विकास में मत्स्यपालन की प्रबुर संभावनाएं हैं। फिर भी जैविक और शाश्वत रूप से इसका उपयोग किया जा रहा था। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी.एम.एम.एस.वाई.) मात्रियकी क्षेत्र की क्षमता को साकार करने की दिशा में एक कदम है मात्रियकी क्षेत्र के महत्व को समझना। देश में शाश्वत नीली क्रांति: लाने और मछुआरों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार ने सजगपूर्ण तरीके से पी.एम.एम.एस.वाई. का रूपरेखा तैयार की थी। क्योंकि सरकार किसानों की आय को दुगना करने के लिए प्रतिबद्ध है। अतः पी.एम.एम.एस.वाई. के विभिन्न घटकों की रूपरेखा तैयार की गई है ताकि अंतर्देशीय मत्स्यपालन, समुद्री मत्स्यपालन, और मत्स्यपालन के पोर्ट हार्डर्स्ट प्रबंधन के व्यापक क्षेत्रों में किसान की आय को दोगुना किया जा सके।

मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी.एम.एम.एस.वाई.) इस क्षेत्र में सभी हितधारकों के साथ प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करेगी और सहायता प्रदान करेगी जिससे इस क्षेत्र को पूर्ण रूप से विकसित और समृद्ध किया जा सकेगा।

मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मत्स्यपालन विभाग ने एक पुस्तिका का प्रकाशन किया है जिसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी.एम.एम.एस.वाई.) के लाभग्राही-उन्मुख कार्यकलापों को सूचीबद्ध किया गया है। मुझे लगता है कि इस पुस्तिका में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के विभिन्न घटकों को व्यापक और स्पष्ट रूप से बताया गया होगा। मैं आशा करता हूँ कि यह पुस्तिका इस क्षेत्र में करोड़ों मछुआरों और हितधारकों केलिए बहुत उपयोगी होगी। मैं इस क्षेत्र के मछुआरों और हितधारकों से आग्रह करता हूँ कि वे इसमें दी गई सूचना का पूरा इस्तेमाल करें और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के विभिन्न घटकों के अन्तर्गत जो फायदे दिए गए हैं उनका लाभ उठाएं जिससे मत्स्यपालन क्षेत्र को विकसित करने का अभीष्ट लक्ष्य हासिल किया जा सके।

प्रताप चन्द्र सारंगी

डॉ राजीव रंजन आईएएस

सचिव

Dr. Rajeev Ranjan, IAS

Secretary



मत्स्यपालन, पशुपालन, एवं डेयरी मंत्रालय

मत्स्यपालन विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली-110001

Ministry of Fisheries,

Animal Husbandry & Dairying

Department of Fisheries

Krishi Bhawan, New Delhi-110 001

प्रस्तावना

प्रिय हितधारकों,

मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी.एम.एस.वाई.) नामक एक पलैगशिप योजना की शुरुआत की है जिसका कुल अनुमानित निवेश 20050 करोड़ रु. है और जो उत्पादन से लेकर उपयोग की मात्रियकी शृंखला के साथ-साथ विविध हस्तक्षेपों की सारणी से युक्त है। पी.एम.एस.वाई. हमारे देश के मात्रियकी क्षेत्र के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी योजना है। मुझे यह बताते हुए भी प्रसन्नता है कि पी.एम.एस.वाई. में लाभार्थीन्मुख गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए लगभग 12340 करोड़ रुपये के निवेश की परिकल्पना की है।

उत्पादन और उत्पादकता की वृद्धि के लिए पी.एम.एस.वाई. में मछुआरों, मछली किसानों, युवा, महिला, उद्यमियों आदि के लाभ के लिए अनेक गतिविधियां प्रस्तावित हैं। इन गतिविधियों में हैचरियां, पुनःसंचारी जलकृषि प्रणाली, बायोफ्लोक, एक्वापोनिक्स, समुद्री और जलाशय पिंजरा कृषि, क्षारीय और लवणीय क्षेत्रों में जलकृषि का विकास, सजावटी मात्रियकी, शैवाल खेती, शीत शृंखला, मार्किटिंग और ब्रांडिंग, शहरी बाजार शृंखला मूल्य संवर्धन, स्टार्टअप, इनक्यूबेटर्स, नवोन्मेष, ट्रेसेबिलिटी, प्रमाणन आदि शामिल हैं। इस योजना में कलस्टर विकास, पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं, मात्रियकी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, हितधारकों की उच्च आय सृजन आदि की सुविधा होगी। पी.एम.एस.वाई. में उद्यमशीलता के विकास और निजी क्षेत्र की सहभागिता को बढ़ाने के लिए एक अनुकूल वातावरण का सृजन होगा।

हितधारकों के लाभ के लिए मत्स्यपालन विभाग ने लाभार्थीन्मुख गतिविधियों की एक सूची संकलित की है जिनका पी.एम.एस.वाई. में समर्थन किया गया है।

अधिक जानकारी और प्रश्नों के लिए मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार और राष्ट्रीय मात्रियकी विकास बोर्ड से निम्न पते पर संपर्क किया जा सकता है और इनका टोल फ्री नम्बर नीचे संकलित सूची में दिया गया है।

मुझे आशा है कि यह जानकारी सभी के लिए उपयोगी होगी।

राजीव रंजन
राजीव रंजन

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत लाभार्थीनुख उप-घटक/गतिविधियां

1. प्रस्तावना

- 1.1 मात्स्यिकी और जलकृषि रोजगार, खाद्य और पोषणीय सुरक्षा, विदेशी मुद्रा आय और लाखों लोगों विशेषकर ग्रामीण जनसंख्या की आय में अपने महत्वपूर्ण योगदान के कारण विकास कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यह क्षेत्र प्राथमिक स्तर पर लगभग 2.80 करोड़ मछुआरों और मछली किसानों को तथा इसी मूल्य शृंखला में लगभग दुगने लोगों को आजीविका प्रदान करता है। पशु प्रोटीन का एक सस्ता और समृद्ध स्रोत होने के नाते भूख और पोषक तत्वों की कमी को दूर करने का एक स्वरूप विकल्प है। इस क्षेत्र में मछुआरों, मछली किसानों, मछली विक्रेताओं और मत्स्यन और मात्स्यिकी से संबंधित गतिविधियों में लगे हुए अन्य हितधारकों की आर्थिक समृद्धि में सहायक बनने और उनकी आय में वृद्धि करने की असीम संभावना है।
- 1.2 मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को कार्यान्वयित कर रही है— एक ऐसी स्कीम जिसमें मछुआरों के कल्याण सहित मात्स्यिकी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 20050 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ भारत में मात्स्यिकी क्षेत्र के धारणीय और दायित्वपूर्ण विकास के माध्यम से नीली क्रांति का आहवान करती है। पी.एम.एम.एस.वार्ड. वित्तीय वर्ष 2020–21 से वित्तीय वर्ष 2024–25 तक कुल पांच वर्षों के लिए सभी राज्योंसंघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वयित किया जाना है।
- 1.3 पी.एम.एम.एस.वार्ड. अन्य बातों के साथ—साथ मात्स्यिकी क्षेत्र में मछुआरों, मछली किसानों, मत्स्य श्रमिकों, मछली विक्रेताओं, अ.जा./अनु.ज.जा./महिला/दिव्यांग व्यक्तियों, स्यवं सहायता समूहों (एस.एच.जी.)/स्वयं देयता समूहों (जे.एल.जी.), मात्स्यिकी सहकारिताओं, मात्स्यिकी संघों, उद्यमियों और निजी फर्मों, मछली किसान उत्पादक संघों/कम्पनियों (एफ.एफ.पी.ओ./सी.) को मात्स्यिकी विकास गतिविधियों को करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।






- 1.4 पी.एम.एस.वाई. में लाभार्थीन्मुख गतिविधियों को करने के लिए 12340 करोड़ रुपये के निवेश की परिकल्पना की गई है।
- 1.5 पी.एम.एस.वाई. के अन्तर्गत समर्थित लाभार्थीन्मुख गतिविधियों में हैचरियों का विकास, ग्रो-आउट और प्रजनन तालाबों का निर्माण, जलीय जीव पालन गतिविधियों के लिए निवेश लागत, खुला समुद्री पिंजरे, पुनःसंचारी प्रणाली (आर.ए.एस.), जलाशयों में पिंजरा कृषि, शैवाल खेती बाईवाल्व खेती, ट्राउट खेती के लिए रेसवे का निर्माण, सजावटी और मनोरंजन मात्रियकी, गहरा समुद्री जलयानों के अर्जन हेतु सहयोग, विद्यमान जलयानों के उन्नयन, पारम्परिक और यंत्रीकृत मत्स्यन जलयानों के मछुआरों हेतु सुरक्षा किट प्रदान करने हेतु सहयोग, पारम्परिक मछुआरों के लिए नौकाओं और जाल प्रदान करने पी.एफ.जैड. उपकरणों और संप्रेषण / ट्रैकिंग की खरीद हेतु सहयोग आदि शामिल है। पी.एम.एस.वाई. में शीतश्रृंखला, शीत संयंत्रों, मछली खाद्य संयंत्र / मिलों के निर्माण, मछली खुदरा बाजारों, कियोस्क, मछली मूल्य संवर्धन एण्टरप्राइजिज इकाइयों का निर्माण, ई-मार्किटिंग और ई-व्यापार के लिए ई-प्लेटफार्म, रोग निदान और गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, मछुआरों और मत्स्यन जलयानों के लिए बीमा सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े सक्रिय पारम्परिक मछुआरों आदि के लिए आजीविका और पोषणीय सहयोग की परिकल्पना है।
- 1.6 मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने दिनांक 24 जून, 2020 को पी.एम.एस.वाई. के विस्तृत प्रचालन दिशानिर्देश जारी किए हैं और जिसे विभाग और एन.एफ.डी.बी. बैवसाइट (i) www-dof-gov-in और (ii) www-nfdb-gov-in पर अपलोड किया गया है।

2. पी.एम.एस.वाई. की संरचना और घटक

- 2.1 पी.एम.एस.वाई. निम्नलिखित दो अलग-अलग घटकों के साथ एक अंब्रेला स्कीम है:
- (क) केन्द्रीय सैक्टर योजना (सी.एस.)
 - (ख) केंद्र प्रायोजित योजना (सी.एस.एस.)
- 2.2 केन्द्रीय प्रायोजित योजना (सी.एस.एस.) घटक पुनः निम्नलिखित 3 विस्तृत शीर्षों के तहत अलाभोन्तुख और लाभोन्तुख उपघटकों/गतिविधियों में विभाजित है जो इस प्रकार हैं:
- (i) उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि
 - (ii) अवसंरचना और पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन
 - (iii) मात्रिकी प्रबंधन और नियामक ढांचा



3. अभिप्राय और उद्देश्य

3.1 प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का अभिप्राय और उद्देश्य (पी.एम.एस.वाई.) इस प्रकार है:

- (क) एक धारणीय, जिम्मेदार, समावेशी और न्यायसंगत तरीके से मात्स्यकी की क्षमता का दोहन
- (ख) भूमि और पानी के विस्तार, गहनता, विविधीकरण और उत्पादक उपयोग के माध्यम से मछली उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि
- (ग) मूल्य शृंखला का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण—पोर्ट हार्बर्स्ट प्रबंधन और गुणवत्ता में सुधार
- (घ) मछुआरों और मछली किसानों की आय के दुगना करना और रोजगार सृजन
- (ङ) कृषि सकल मूल्य वर्धित और निर्यात में योगदान बढ़ाना
- (च) मछुआरों और मछली किसानों के लिए सामाजिक, शारीरिक और आर्थिक सुरक्षा
- (छ) मजबूत मात्स्यकी प्रबंधन और नियामक ढांचा





4. लाभार्थी

4.1 प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत लाभार्थी हैं:

- (i) मछुआरे
- (ii) मछली किसान
- (iii) मछली श्रमिक और मछली विक्रेता
- (iv) मत्स्य विकास निगम
- (v) मत्स्यपालन क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.) / संयुक्त देयता समूह (जे.एल.जी.)
- (vi) मत्स्य सहकारी समितियाँ
- (vii) मत्स्य पालन संघ
- (viii) उद्यमी और निजी फर्म
- (ix) मछली किसान उत्पादक संगठन / कंपनियाँ (एफ.एफ.पी.ओ. / सी.एस.)
- (x) एससी / एसटी / महिला / अलग—अलग विकलांग व्यक्ति
- (xi) राज्य सरकारें / संघ राज्य क्षेत्र और उनकी इकाइयाँ जिनमें शामिल हैं
- (xii) राज्य मत्स्य विकास बोर्ड (एस.एफ.डी.बी.)
- (xiii) केंद्र सरकार और उसकी इकाइयाँ



5. निधियन पद्धति

5.1 केंद्रीय सैक्टर योजना (सी.एस.)

- (क) पूरी परियोजना/इकाई लागत केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी (यानी 100% केंद्रीय निधियन)
- (ख) जहाँ भी प्रत्यक्ष लाभार्थी उन्मुख अर्थात् व्यक्तिगत/समूह गतिविधियाँ केंद्र सरकार की संस्थाओं द्वारा की जाती हैं, जिनमें राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एन.एफ.डी.बी.) शामिल हैं, केंद्रीय सहायता सामान्य श्रेणी के लिए इकाई/परियोजना लागत का 40% तक होगी और अनु-जाति/अनु-जनजाति/महिला वर्ग के लिए 60% तक होगी।

5.2 केंद्रीय प्रायोजित योजना (सी.एस.एस.)

- 5.2.1 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले सी.एस.एस. घटक के तहत गैर-लाभार्थी उन्मुख केंद्रित उप-घटकों/गतिविधियों के लिए, संपूर्ण परियोजना/इकाई लागत केंद्र और राज्य के बीच निम्नानुसार साझा किया जाएगा।

- (क) उत्तर-पूर्वी और हिमालय स्थित राज्यों के बीच : 90% केंद्रीय हिस्सा और 10% राज्य का हिस्सा
- (ख) अन्य राज्यों में: 60% केंद्रीय हिस्सा और 40% राज्य का हिस्सा
- (ग) संघ राज्य क्षेत्र (विधायिका के साथ और विधायिका के बिना): 100% केंद्रीय हिस्सा

- 5.2.2 राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले सी.एस.एस. घटक के तहत लाभार्थी उन्मुख अर्थात् एकल/समूह गतिविधियों उपघटकों/गतिविधियों के लिए केन्द्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार दोनों के लिए सरकारी वित्तीय सहायता सामान्य श्रेणी वर्ग के लिए परियोजना/इकाई लागत का 40% और अनु-जाति/अनु-ज.जाति/महिला वर्ग के लिए परियोजना/इकाई लागत का 60% तक होगा। इसके साथ केन्द्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच सरकारी वित्तीय सहायता का हिस्सा निम्न अनुपात में होगा:

- क) उत्तर-पूर्वी और हिमालय स्थित राज्यों में: 90% केंद्रीय हिस्सा और 10% राज्य का हिस्सा होगा

- ख) अन्य राज्यों में: 60% केंद्रीय हिस्सा और 40% राज्य का हिस्सा है।
- ग) संघ राज्य क्षेत्र (विधायिका के साथ और विधायिका के बिना): 100% केंद्रीय हिस्सा (संघ राज्य क्षेत्र का कोई हिस्सा नहीं)

5.3 पी.एम.एम.एस.वार्ड के फंडिंग पैटर्न का चित्रण

5.3.1 बेहतर समझ के प्रयोजन के लिए, फंडिंग पैटर्न और सरकारी वित्तीय सहायता को आगामी पैराग्राफ में विस्तृत तरीके से योजनाबद्ध रूप से चित्रित किया गया।


5.3.2 नीचे दी गई स्कीम के उदाहरण के उद्देश्य से परियोजना लागत/इकाई लागत को 10 लाख/इकाई के रूप में माना गया है।

5.3.3 पी.एम.एम.एस.वार्ड के केन्द्रीय प्रायोजित योजना (सी.एस.एस.) घटक


(क) सी.एस.एस. (अलाभकारी गतिविधियों) के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित प्रत्यक्ष परियोजनाएं।




(ख) सी.एस.एस. के तहत सामान्य राज्य— लाभार्थीन्सुख गतिविधियाँ



(ग) सी.एस.एस. के तहत उत्तर पूर्वी और हिमालयीन राज्यों की लाभार्थीन्मुख गतिविधियाँ



(घ) सी.एस.एस. के अन्तर्गत संघ राज्य क्षेत्र की लाभार्थीन्मुख गतिविधियाँ




Cage Culture, Bor reservoir, Mah

Chirpani Cages Chhattisgarh

5.3.4 पी.एम.एम.एस.वाई. के केन्द्रीय सैकटर स्कीम (सी.एस.)

(क) सी.एस. के अन्तर्गत लाभार्थीनुख गतिविधियां

**6 गतिविधियों की सूची**

- 6.1 प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के केन्द्रीय सैकटर स्कीम घटक और केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम घटक दोनों के उपघटक/गतिविधियों का ब्यौरा उनकी विशाल गतिविधियों सहित पी.एम.एम.एस.वाई. के जारी विस्तृत दिशानिर्देशों में प्रस्तुत किया गया है:-
- 6.2 तथापि तैयार रेकन के लाभ के लिए पी.एम.एम.एस.वाई. के केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम घटक के तहत लाभार्थीनुख उप-घटकों और गतिविधियों का ब्यौरा उनके उपघटक/गतिविधिवार इकाई लागत, सरकारी सहायता सहित नीचे सारणी में दिया गया है:



सारणी-१: पी.एम.एम.एस.वाई. की केंद्रीय प्रायोजित योजना घटक के तहत लाभार्थीउच्च उप-घटक और गतिविधियाँ

क्रम सं.	उप-घटक और गतिविधियाँ	इकाई	इकाई मूल्य (लाख रु में)	सरकारी सहायता (लाख रु. में)	
				सामान्य (40%)	एस.सी./एस.टी./महिलाएं (60%)
(i)	(ii)		(iii)	(iv)	(v)
क	उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि				
	अंतर्देशीय मत्स्यपालन और जलकृषि का विकास				
1	मीठे जल के नए झींगा हैचरीज़ की स्थापना	सं.	25.00	10.00	15.00
2	नए मीठे जल स्कैंपी हैचरी की स्थापना	सं.	50-00	20-00	30-00
3	नए पालन तालाबों (नर्सरी/बीज पालन) का निर्माण	हे.	7.00	2.80	4.20
4	नए ग्रो—आउट तालाबों का निर्माण	हे.	7.00	2.80	4.20
5	मीठे जल जलकृषि के लिए निवेश जिनमें कम्पोजिट मछली कल्वर, स्कैम्पी, पंगासियस, तिलापिया आदि शामिल हैं।	हे.	4.00	1.60	2.40
6	आवश्यकता आधारित नये ब्रैकिश हैचरीज (शेल फिश और फिन फिश) की स्थापना	सं.	50.00	20.00	30.00
7	ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्वर के लिए नए तालाबों का निर्माण यदि विनिर्देशों के अनुसार पॉलिथीन अस्तर प्रदान किया जाता है, तो लाभार्थीयों (सामान्य/एस.सी./एस.टी./महिला) को प्रति हेक्टेयर 2 लाख रु. तक की अतिरिक्त सरकारी सहायता। प्रदान की जा सकती है। 2 लाख रुपये तक की यह राशि केंद्र और राज्य के बीच पी.एम.एस.वाई. के सी.एस.एस. घटक के तहत निधियन पद्धति के अनुसार साझा की जाएगी।	हे.	8.00	3.20	4.80


क्रम सं.	उप—घटक और गतिविधियाँ	इकाई	इकाई मूल्य (लाख रु में)	सरकारी सहायता (लाख रु. में)	
				सामान्य (40%)	एस.सी./ एस. टी./ महिलाएं (60%)
(i)	(ii)		(iii)	(iv)	(v)
8	लवणीय/ क्षारीय क्षेत्रों के लिए नए तालाबों का निर्माण यदि विनिर्देशों के अनुसार पॉलिथीन अस्तर प्रदान किया जाता है, तो लाभार्थियों (सामान्य/ एस.सी./ एस.टी./ महिला) को प्रति हेक्टेयर 2 लाख रु. तक की अतिरिक्त सरकारी सहायता। प्रदान की जा सकती हैं। 2 लाख रुपये तक की इस राशि को राज्य और केंद्र के बीच पी.एम.एम.एस. वाई. के सी.एस.एस. घटक के तहत फिडिंग पैटर्न के अनुसार साझा किया जाएगा।	है.	8.00	3.20	4.80
9	खारे जल जलकृषि के लिए इनपुट	है.	6.00	2.40	3.60
10	लवणीय/ क्षारीय जल जलकृषि के लिए इनपुट	है.	6.00	2.40	3.60
11	इनपुट सहित ब्रैकिंग जल/ लवणीय/ क्षारीय क्षेत्रों के लिए बायोफ्लोक तालाबों का निर्माण	है.	18	7.20	10.80
12	मीठे जल वाले क्षेत्रों के लिए बायोफ्लोक तालाबों का निर्माण जिसमें इनपुट कोस्ट भी शामिल हैं	है.	14.00	5.60	8.40
13	जलाशयों में फिंगरलिंग का स्टॉक @ 1000एफ.एल/ हेक्टेयर (3.0 लाख / 1 लाख एफ.एल.)	है.	3 रु./ फिंगरलिंग	12 रु./ फिंगरलिंग	18 रु./ फिंगरलिंग
14	वेटलैंड्स फिंगरलिंग का स्टॉक @ 1000 एफ.एल/ हेक्टेयर (3.0 लाख / 1 लाख एफएल)	है.	3 रु./ फिंगरलिंग	12 रु./ फिंगरलिंग	18 रु./ फिंगरलिंग
समुद्री मत्स्यपालन और समुद्री शैवाल की खेती सहित समुद्री मात्रियकी का विकास					
15	छोटे समुद्री फिनफिश हैचरी की स्थापना	सं.	50.00	20.00	30.00
16	बड़े समुद्री फिनफिश हैचरी का निर्माण	सं.	250.00	100.00	150.00
17	समुद्री फिनफिश नर्सरी	सं.	15.00	6.00	9.00
18	खुले समुद्री पिंजरों की स्थापना (100–120 घन मीटर मात्रा)	सं.	5.00	2.00	3.00
19	इनपुट्स (प्रति राफ्ट) सहित समुद्री शैवाल कृषि राफ्ट्स की स्थापना।	सं.	0.015	0.006	0.009

क्रम सं.	उप-घटक और गतिविधियाँ	इकाई	इकाई मूल्य (लाख रु में)	सरकारी सहायता (लाख रु. में)	
				सामान्य (40%)	एस.सी./ एस. टी./ महिलाएं (60%)
(i)	(ii)		(iii)	(iv)	(v)
20	इनपुट सहित मोनोलीन / टचूबनेट विधि के साथ समुद्री शैवाल कल्वर की स्थापना (एक इकाई लगभग 25 मीटर लंबाई के 15 रस्सियों के बराबर)	सं.	0.08	0.03	0.05
21	वाईवाल्व खेती (सीपी, क्लैम, मोती आदि)	सं.	0.20	0.08	0.12
	उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों में मत्स्यपालन का विकास (नीचे की गतिविधियों के अलावा, उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को पी.एम.एम.एस. वाई. के तहत परिकलित अन्य उप-घटकों/गतिविधियों के तहत भी सहायता दी जाएगी जो सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए सामान्य हैं)।				
22	ट्राउट मछली हैंचरी की स्थापना	सं.	50.00	20.00	30.00
23	रेसवे का निर्माण न्यूनतम 50 क्यूवक मीटर	सं.	3.00	1.20	1.80
24	ट्राउट पालन इकाइयों के लिए इनपुट	सं.	2.50	1.00	1.50
25	नए तालाबों का निर्माण	हे.	8.40	3.36	5.04
26	शीत जल मत्स्यपालन के लिए मध्यम आर.ए.एस. की स्थापना। (न्यूनतम 50 घन मीटर क्षमता के 4 टैंक और 4 टन/फसल की टैंक मछली उत्पादन क्षमता)	सं.	20.00	8.00	12.00
27	शीत जल की मछली पालन के लिए बड़े आर.ए.एस. की स्थापना (न्यूनतम 50 क्यूविक मीटर / टैंक क्षमता और 10 टन/फसल की मछली उत्पादन क्षमता के 10 टैंक)	सं.	50.00	20.00	30.00
28	एकीकृत मछली पालन के लिए इनपुट कोस्ट (धान सह मछली की खेती, पशुधन सह मछली, आदि)।	हे.	1.00	0.40	0.60
29	शीत जल के क्षेत्रों में पिंजरों की स्थापना।	सं.	5.00	2.00	3.00
	सजावटी और मनोरंजक मत्स्यपालन का विकास				
30	बैक्यार्ड सजावटी मछली पालन इकाई (दोनों, समुद्री और ताजा जल)	सं.	3.00	1.20	1.80

क्रम सं.	उप—घटक और गतिविधियाँ	इकाई	इकाई मूल्य (लाख रु में)	सरकारी सहायता (लाख रु. में)	
				सामान्य (40%)	एस.सी./ एस. टी./ महिलाएं (60%)
(i)	(ii)		(iii)	(iv)	(v)
31	मध्यम स्केल सजावटी मछली पालन इकाई (समुद्री और मीठे जल की मछली)	सं.	8.00	3.20	4.80
32	एकीकृत सजावटी मछली इकाई (ताजा जल की मछली के लिए प्रजनन और पालन)	सं.	25.00	10.00	15.00
33	एकीकृत सजावटी मछली इकाई (समुद्री मछली के लिए प्रजनन और पालन)	सं.	30.00	12.00	18.00
34	ताजे जल सजावटी मछली ब्रूड बैंक की स्थापना।	सं.	100.00	40.00	60.00
35	मनोरंजक मत्स्यपालन को बढ़ावा देना।	सं.	50.00	20.00	30.00
प्रौद्योगिकी आसव और अनुकूलन					
36	बड़े आर.ए.एस. की स्थापना (न्यूनतम 90 मीटर क्यूव / टैंक क्षमता और मछली उत्पादन 40 टन/फसल के 8 टैंकों के साथ)/बायोफ्लो कल्वर सिस्टम (4 मी व्यास और 1.5 ऊँचाई के 50 टैंक)।	सं.	50.00	20.00	30.00
37	मध्यम आर.ए.एस. की स्थापना (10 टन/ फसल की मछली उत्पादन क्षमता के साथ न्यूनतम 30 मीटर क्यूव /टैंक क्षमता के 6 टैंक के साथ)/बायोफ्लो कल्वर सिस्टम (4 मी व्यास और 1. मी ऊँचाई के 25 टैंक)	सं.	25.00	10.00	15.00
38	छोटे आर.ए.एस. की स्थापना (100 मीटर क्षमता के 1 टैंक के साथ/बायोफ्लोक (4 मीटर व्यास के 7 टैंक और 1.5 ऊँचाई) – कल्वर प्रणाली	सं.	7.50	3.00	4.50
39	बैकयार्ड मिनी आर.ए.एस. इकाइयों की स्थापना	सं.	0.50	0.20	0.30
40	जलाशयों में पिंजरों की स्थापना	सं.	3.00	1.20	1.80
41	खुले जल निकायों में पेन कल्वर	हे.	3.00	1.20	1.80
ख बुनियादी ढांचा और पोस्ट हार्वेस्ट प्रबन्धन					
पोस्ट हार्वेस्ट और शीत शृंखला के आधारभूत ढांचे					
42	शीत भंडार का निर्माण / आइस प्लांट				

क्रम सं.	उप-घटक और गतिविधियाँ	इकाई	इकाई मूल्य (लाख रु में)	सरकारी सहायता (लाख रु. में)	
				सामान्य (40%)	एस.सी./ एस. टी./ महिलाएं (60%)
(i)	(ii)		(iii)	(iv)	(v)
(a)	न्यूनतम 10 टन क्षमता का संयंत्र/ भंडारण	सं.	40.00	16.00	24.00
(b)	न्यूनतम 20 टन क्षमता का संयंत्र/ भंडारण	सं.	80.00	32.00	48.00
(c)	न्यूनतम 30 टन क्षमता का संयंत्र/ भंडारण	सं.	120.00	48.00	72.00
(d)	न्यूनतम 50 टन क्षमता का प्लांट	सं.	150.00	60.00	90.00
43	कोल्ड स्टोरेज / आइस प्लांट का आधुनिकीकरण	सं.	50.00	20.00	30.00
44	प्रशीतित वाहन	सं.	25.00	10.00	15.00
45	इनसुलेटेड वाहन	सं.	20.00	8.00	12.00
46	आइस बॉक्स के साथ मोटर साइकिल	सं.	0.75	0.30	0.45
47	आइस बॉक्स के साथ साइकिल	सं.	0.10	0.04	0.06
48	मछली वेंडिंग के लिए ई-रिक्शा सहित आइस बॉक्स के साथ तीन व्हीलर	सं.	3.00	1.20	1.80
49	सजीव मछली वेंडिंग केंद्र	सं.	20.00	8.00	12.00





क्रम सं.	उप-घटक और गतिविधियाँ	इकाई	इकाई मूल्य (लाख रु में)	सरकारी सहायता (लाख रु. में)	
				सामान्य (40%)	एस.सी./एस.टी./महिलाएं (60%)
(i)	(ii)		(iii)	(iv)	(v)
50	मछली चारा मिल्स				
(a)	2 टन/दिन की उत्पादन क्षमता की मिनी मिल्स	सं.	30.00	12.00	18.00
(b)	8 टन/दिन की उत्पादन क्षमता का मीडियम मिल्स	सं.	100.00	40.00	60.00
(c)	20 टन/दिनी की उत्पादन क्षता का बड़ा मिल्स	सं.	200.00	80.00	120.00
(d)	मछली फ़ीड उत्पादन की कम से कम 100 टन/दिन की उत्पादन क्षमता।	सं.	650.00	260.00	390.00
बाजार और विपणन संरचना					
51	सजावटी मछली/एक्वैरियम बाजार सहित मछली खुदरा बाजारों का निर्माण।	सं.	100.00	40.00	60.00
52	एक्वैरियम/सजावटी मछली के कियोस्क सहित मछली कियोस्क का निर्माण	सं.	10.00	4.00	6.00
53	मछली मूल्य संवर्धन उद्यम इकाइयाँ	सं.	50.00	20.00	30.00
54	मछली और मत्स्य उत्पादों के ई-ट्रेडिंग और ई-मार्केटिंग के लिए ई-स्लेटफॉर्म	सं.			

क्रम सं.	उप-घटक और गतिविधियाँ	इकाई	इकाई मूल्य (लाख रु में)	सरकारी सहायता (लाख रु. में)	
				सामान्य (40%)	एस.सी./ एस. टी./ महिलाएं (60%)
(i)	(ii)		(iii)	(iv)	(v)
गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का विकास					
55	पारंपरिक मछुआरों के लिए गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के जहाजों के अधिग्रहण के लिए समर्थन	सं.	120.00	48.00	72.00
56	निर्यात क्षमता के लिए मौजूदा मछली पकड़ने के जहाजों का उन्नयन	सं.	15.00	6.00	9.00
57	मशीनीकृत मछली पकड़ने के जहाजों में जैव-शौचालयों की स्थापना	सं.	0.50	0.20	0.30
जलीय स्वास्थ्य प्रबंधन					
58	रोग निदान और गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना	सं.	25.00	10.00	15.00
59	रोग निदान और गुणवत्ता परीक्षण मोबाइल लैब/ क्लीनिक	सं.	35.00	14.00	21.00
ग	मातिस्यकी का प्रबंधन और नियामक फ्रेमवर्क				
निगरानी, नियंत्रण और निगरानी (एम.सी.एस.)					
60	पारंपरिक और मोटर चालित जहाजों को वी.एच. एफ./डी.ए.टी./एन.ए.वी.आई.सी. / ट्रांसपोर्डर आदि संचार/या ट्रैकिंग डिवाइस।	सं.	0.35	0.14	0.21
मछुआरों की रक्षा और सुरक्षा को मजबूत करना					
61	पारंपरिक और मोटर चालित मछली पकड़ने के जहाजों के मछुआरों के लिए सुरक्षा किट प्रदान करने के लिए सहायता (60 में उल्लिखित संचार और/या ट्रैकिंग डिवाइस के अलावा)	सं.	1.00	0.40	0.60
62	पारंपरिक मछुआरों के लिए नाव (प्रतिस्थापन) और जाल उपलब्ध कराना	सं.	5.00	2.00	3.00
63	पीएफजेड उपकरणों और नेटवर्क के लिए मछुआरों को सहायता जिसमें स्थापना और रखरखाव आदि की लागत शामिल है।	सं.	0.11	0.044	0.066

क्रम सं.	उप-घटक और गतिविधियाँ	इकाई	इकाई मूल्य (लाख रु में)	सरकारी सहायता (लाख रु. में)	
				सामान्य (40%)	एस.सी./ एस. टी./ महिलाएं (60%)
(i)	(ii)		(iii)	(iv)	(v)
मात्रियकी विस्तार और समर्थन सेवाएं					
64	एक्सटेंशन और समर्थन सेवाएँ।	सं.	25.00	10.00	15.00
65	सागर मित्र			सागर मित्रा को प्रोत्साहन केंद्र और राज्यों के बीच पी.एम.एस.वाई. के वित्त पोषण पैटर्न के अनुसार साझा किया जाएगा।	
मछली पकड़ने के जहाजों और मछुआरों का बीमा					
66	मछली पकड़ने वाले जहाजों का बीमा	सं.		प्रीमियम सबवेंशन। प्रीमियम राशि को पी.एम.एस.वाई. के फंडिंग पैटर्न के अनुसार केंद्र, राज्यों और लाभार्थियों के बीच साझा किया जाएगा।	
67	मछुआरों, मछली किसानों, मछली श्रमिकों और किसी भी अन्य श्रेणी के व्यक्तियों को बीमा सीधे मछली पकड़ने और मत्स्यपालन संबंधित गतिविधियों में शामिल किया गया है।	सं.		पी.एम.एस.वाई. के फंडिंग पैटर्न के अनुसार केंद्र और संबंधित राज्यों के बीच पूरी प्रीमियम वित्त पोषण साझा किया जाएगा।	



क्रम सं.	उप-घटक और गतिविधियाँ	इकाई	इकाई मूल्य (लाख रु में)	सरकारी सहायता (लाख रु. में)	
				सामान्य (40%)	एस.सी./ एस. टी./ महिलाएं (60%)
(i)	(ii)		(iii)	(iv)	(v)
मत्स्य संसाधन के संरक्षण हेतु मछुआरों के लिए आजीविका और पोषण संबंधी सहायता					
68	मछली पकड़ने के प्रतिबंध या लीन अवधि के दौरान मत्स्य संसाधनों के संरक्षण के लिए सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े सक्रिय पारंपरिक मछुआरों के परिवारों के लिए आजीविका और पोषण संबंधी सहायता।	सं.		नीचे दी गई तालिका में विवरण	

नं.. — नम्बर,

हे. — हैक्टेयर

सारणी: आजीविका और पोषण संबंधी सहयोग

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निधियन पद्धति	योगदान
केन्द्रीय हिस्सा	(i) 50:50 केंद्र और सामान्य राज्य	केंद्र का हिस्सा 1500 रुपये + राज्य का हिस्सा 1500 रुपये + लाभार्थी का हिस्सा 1500 रुपये = 4500 रुपये/- वार्षिक
उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्य	(i) 80:20 केंद्र और पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य	केंद्र का हिस्सा 2400 रुपये + राज्य का हिस्सा 600 रुपये + लाभार्थी का हिस्सा 1500रुपये = 4500 रुपये/- वार्षिक
संघ राज्य क्षेत्र	संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय हिस्सा 100% (विधायिका के साथ और विधायिका के बिना)	केंद्र का हिस्सा 3000 रुपये + लाभार्थी का हिस्सा 1500 रुपये = 4500 रुपये/- वार्षिक

Seaweed Training



- 6.3 पी.एम.एम.एस.वार्ड में राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करने की भी परिकल्पना की गई है, जिसमें बूड़ बैंक, जलाशयों का समेकित विकास, एकीकृत एक्वा पार्क, मछली पकड़ने के बंदरगाह का निर्माण / विस्तार, मौजूदा मछली पकड़ने के बंदरगाह का आधुनिकीकरण / अपग्रेडेशन जैसे मत्स्य आधारभूत संरचना और समर्थन प्रणाली बनाने के लिए है। आधुनिक एकीकृत मछली लैंडिंग केंद्र, मौजूदा मछली पकड़ने के बंदरगाह के ड्रेजिंग का रखरखाव, कला पूर्ण बिक्री मछली बाजारों की स्थिति का निर्माण, तकनीकी रूप से उन्नत पोत, प्रमाणीकरण, ब्रांडिंग, मछली का निशान, मछली में जीआई आदि, और इस तरह की बुनियादी सुविधाओं और समर्थन सेवाओं का लाभ किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र के सभी मछुआरों / हितधारकों द्वारा प्राप्त किया जाता है।
- 6.4 मछुआरों / हितधारकों के लाभों के लिए PMMSY के तहत परिकल्पित बुनियादी सुविधाओं / समर्थन सेवाओं का विवरण नीचे तालिका –2 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका -2: केंद्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत गैर-लाभ-ग्राही-उन्मुख गतिविधियाँ

क्रम सं.	गतिविधियों का नाम	इकाई	इकाई मुल्य (रु. लाख में)	केंद्रीय सहायता (रु. लाख में)		
				सामान्य राज्य	पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्य	संघ राज्य क्षेत्र
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
क	मछली उत्पादन और उत्पादकता का प्रबंधन					
1	अंतर्देशीय मत्स्य और जलीय कृषि का विकास					
1.1	बूड़ बैंकों की स्थापना (समुद्री शैवाल के लिए बीज बैंक सहित)	सं.	500.00	300.00	450.00	500.00
1.2	जलाशयों का एकीकृत विकास (बड़ा) (क्षेत्र: 5000 हेक्टेयर से अधिक)	सं.	600.00	360.00	540.00	600.00
1.3	जलाशयों का एकीकृत विकास (मध्यम)	सं.	400.00	240.00	360.00	400.00
1.4	जलाशयों का समेकित विकास (क्षेत्र: 1000 हेक्टेयर से कम)	सं.	300.00	180.00	270.00	300.00
1.5	एकीकृत एक्वा पार्क (आई.ए.पी.)	सं.	10000.00	6000.00	9000.00	
2	हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में मत्स्यपालन का विकास					
2.1	जर्मप्लाज्म के आयात के लिए राज्यों को समर्थन।	परियोजना को राज्य द्वारा प्रस्तुत औचित्य, मछली प्रजातियों, तकनीकी-वित्तीय विवरणों के साथ एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के आधार पर परियोजना मोड पर लिया जाएगा।				

क्रम सं.	गतिविधियों का नाम	इकाई	इकाई मूल्य (रु. लाख में)	केंद्रीय सहायता (रु. लाख में)		
				सामान्य राज्य	पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्य	संघ राज्य क्षेत्र
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
ख	सूचना और पोस्ट—नुकसान प्रबंधन					
3	मछली पकड़ने के बंदरगाह और मछली पकड़ने के केंद्रों का विकास					
3.1	मत्स्य पालन हारबर्स का निर्माण / विस्तार।	सं.	20000	12000	---	20000
3.2	मौजूदा मत्स्य पालन हारबर्स का आधुनिकीकरण / उन्नयन	सं.	5000	3000	---	5000
		सं.				
3.3	आधुनिक एकीकृत मछली लैंडिंग केंद्र	सं.	2500	1500	2250	2500
3.4	मौजूदा एफएच के ड्रेजिंग का रखरखाव	सं.	500	300	---	500
4	डंतामजे दक डंतामजपद्ध पदर्तिंजतनबजनतम					
4.1	कला पूर्ण बिक्री मछली बाजार के राज्य का निर्माण।	सं.	5000.00	3000.00	4500.00	5000.00
4.2	कार्बनिक एक्वाकल्चर संवर्धन और प्रमाणन			परियोजना को डीपीआर मोड में लागू किया जाएगा। संबंधित राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पीएमएसवाई के परिचालन दिशानिर्देशों में इंगित अन्य आवश्यक शर्तों के साथ प्रस्तुत करेगा।		
4.3	घरेलू मछली की खपत, ब्रांडिंग, मछली का निशान, मछली में जीआई, हिमालयन ट्राउट—टूना ब्रांडिंग, सजावटी मछलियों का प्रचार और ब्रांडिंग आदि।			परियोजना को डीपीआर मोड में लागू किया जाएगा। संबंधित राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पीएमएसवाई के परिचालन दिशानिर्देशों में इंगित अन्य आवश्यक शर्तों के साथ प्रस्तुत करेगा।		
5	गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का विकास					
5.1	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से समुद्री मछुआरों / मछुआरों के समूहों के लिए तकनीकी रूप से उन्नत जहाजों को बढ़ावा देना	सं.	5000.00	3000.00	---	5000.00

क्रम सं.	गतिविधियों का नाम	इकाई	इकाई मूल्य (रु. लाख में)	केंद्रीय सहायता (रु. लाख में)		
				सामान्य राज्य	पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्य	संघ राज्य क्षेत्र
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
6	एकीकृत आधुनिक तटीय मछली पकड़ने के गाँव					
6.1	एकीकृत आधुनिक तटीय मछली पकड़ने के गाँव	सं.	450.00	---	750.00	
7	जलीय स्वास्थ्य प्रबंधन					
7.1	गुणवत्ता परीक्षण और रोग निदान के लिए जलीय रेफरल लैब्स।	सं.	600.00	900.00	1000.00	
ग	मत्स्यपालन प्रबंधन और नियामक ढांचा					
8	निगरानी, नियंत्रण और सर्विलांस (एम.सी.एस.)					
8.1	हब स्टेशनों, टावरों, आईटी आधारित सॉफ्टवेयर, बाह्य उपकरणों, नेटवर्क और संचालन आदि सहित एमसीएस के लिए सामान्य अवसंरचना।	सं.				
9	मत्स्य विस्तार और समर्थन सेवाएं					
9.1	बहुउद्देशीय सहायता सेवा – सागर मित्र (प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन के साथ अपेक्षित आईटी / संचार	सं.	12.40	7.44	---	12.40





7. प्रस्तावों का प्रस्तुत किया जाना

7.1 केंद्रीय प्रायोजित योजना पी.एम.एस.वाई. के घटक

7.1.1 लाभ-ग्राहियों से अपेक्षा की जाती है कि वे पी.एम.एस.वाई. के प्रचलनिक दिशा-निर्देश के अनुसार स्वनिहित/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) अपने अधिकावास जिला के जिला मत्स्यपालन अधिकारी या संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जिला जिनमें मत्स्यपालन विकास संबंधी कार्यकलाप आरंभ करना चाहते हैं, को प्रस्तुत करें।

7.1.2 केंद्रीय प्रायोजित योजना के पी.एम.एस.वाई घटक

7.1.2 केंद्रीय क्षेत्र की योजना पी.एम.एस.वाई. के घटक संबंधी परियोजना के प्रस्तावों का मत्स्यपालन विभाग भारत सरकार के निम्नलिखित पते पर, भेजा जाना चाहिए।

सचिव

मत्स्यपालन विभाग,

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय,

भारत सरकार

कमरा नं. 221, कृषि भवन

नई दिल्ली-110001

(E-mail: secy-fisheries@gov.in)

8. संपर्क ब्यौरे

- 8.1 पी.एम.एम.एस.वाई. के ब्यौरे हेतु इस स्कीम के अन्तर्गत प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए सभी हित धारकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे जिस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में मात्स्यकी विकास गतिविधियां चलाना चाहते हैं तो उस राज्य के जिला मात्स्यकी अधिकारी से संपर्क करें।
- 8.2 पी.एम.एम.एस.वाई. पर और अधिक जानकारी के लिए सभी हितधारक (अभीष्ट हिताधिकारी) निम्न पते पर संपर्क करें या मत्स्यपालन विभाग की बैंकसाइट www.dof.gov.in और www.nfdb.gov.in पर अपलोडिट पी.एम.एस.वाई के विस्तृत प्रचालन मार्गनिर्देशों को देंखें।

8.3 समुद्री मात्स्यकी और सजावटी मात्स्यकी से संबंधित प्रश्नों के लिए

डॉ. संजय पाण्डेय,
सहायक आयुक्त (मात्स्यकी)
मत्स्यपालन विभाग,
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
कमरा नं. 479, कृषि भवन
नई दिल्ली 110 001
Tel.: 011-23097014
E-mail : sanjay.rpandey@gov.in

Seaweed Culture





Indian Pompano harvest at Vizag

8.4 अन्तर्रेशीय मात्रियकी और पोस्ट हार्वेस्ट से संबंधित प्रश्नों के लिए

श्री राकेश कुमार,
सहायक आयुक्त (मात्रियकी)
मत्स्यपालन विभाग,
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
36, चन्द्रलोक भवन, जनपथ
नई दिल्ली 110 001
Tel.: 011-23310351
E-mail : rakesh.kr38@gov.in

8.5 मात्रियकी से संबंधित सभी प्रश्नों के लिए राष्ट्रीय मात्रियकी विकास बोर्ड (एन.एफ.डी.बी.)
में टोल फ्री नम्बर रखा गया है जो निम्नलिखिति है :

Toll free No- 1800&425&1660



मत्स्यपालन विभाग
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
भारत सरकार